

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. गवालियर

प्रकाशन/प्राप्ति/मुद्रा/2018/0668

1. दीनदयाल पिता नाथूराम भदौरिया, आयु लगभग 48 वर्ष
2. लक्ष्मीनारायण पिता नाथूराम भदौरिया, आयु लगभग 62 वर्ष दोनों निवासी—प्रताप वार्ड बीना, तह.बीना, जिला—सागर, म.प्र.
3. पुरुषोत्तम पिता नाथूराम भदौरिया विकृतचित्त आयु लगभग 50 वर्ष वादमित्र एवं संरक्षक — लक्ष्मीनारायण पिता नाथूराम भदौरिया, निवासी—प्रताप वार्ड बीना, तहसील बीना, जिला—सागर, म.प्र.
4. सोनू पिता हरीशंकर भदौरिया, आयु लगभग 36 वर्ष
5. गुड़िया पुत्री हरीशंकर भदौरिया, आयु लगभग 37 वर्ष
6. कुसुमरानी बेवा हरीशंकर भदौरिया, आयु लगभग 63 वर्ष
7. रजनीश तनय हरीशंकर भदौरिया आयु लगभग 38 वर्ष क.—4 लगायत 7 का निवास धमापुर चौराहा जबलपुर, म.प्र.
8. अखिलेश तनय राजेन्द्र कुमार भदौरिया आयु लगभग 19 वर्ष
9. कु.अंजनी आयु लगभग 21 वर्ष पुत्री राजेन्द्र कुमार भदौरिया
10. पुष्पलता बेवा राजेन्द्र कुमार भदौरिया, आयु लगभग 52 वर्ष, क.—8 लगायत 10 निवासी—मकरोनिया, जिला—सागर, म.प्र.

पुनरीक्षणकर्तागण

बनाम

1. उषा आयु लगभग 40 वर्ष पुत्री नाथूराम भदौरिया, पत्नि राम खटीक निवासी—मछरयाई मुहल्ला सागर, जिला—सागर, म.प्र.
2. उमा आयु लगभग 42 वर्ष पत्नि रविन्द्र धारिया, पुत्री नाथूराम खटीक, निवासी—गोकुलपुरा कालोनी, तुलसी चबूतरा क.—56, बड़ला रोड आगरा, उ.प्र.
3. सावित्री आयु लगभग 58 वर्ष पत्नि कालूराम खटीक पुत्री नाथूराम खटीक, निवासी—जवाहर वार्ड गढ़कोटा, जिला—सागर, म.प्र.
4. निर्मला आयु लगभग 38 वर्ष पत्नि राजेन्द्र सप्रे, पुत्री नाथूराम खटीक, निवासी—सॉईधाम कालोनी बीना, जिला—सागर, म.प्र.

उत्तरवादीगण

[Signature]

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर


अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक I / निगरानी / सागर / भू0रा0 / 2018 / 0668

दीनदयाल आदि

विरुद्ध

उषा आदि

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|---------------------|--|--|
| 07-3-2019 | <p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी बीना जिला सागर के प्रकरण क्रमांक 34 / अ-6 / 2016-17 में पारित आदेश दिनांक 20-9-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 6-5-2019 को कलेक्टर सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p>(3)</p> |  मादत ०५/३/१९ |